कार्यालय जिला पंचायत
कानपुर नगर।

आज्ञा / स्वीकृति

पत्र सं0–1646 /मा0अनु0 / जि0पं0 / 2018–19 दिनांक:– 29-03-2019

साइन सिटी प्रापर्टीज प्रा0लि0(पोल स्टार सिटी)
श्री अहमद अली पुत्र श्री मुर्शरफ अली,
पता–115 चतुर्थ तल आर स्क्वायर काम्पलेक्स
विपुल खण्ड,गोमती नगर लखनऊ।

विषयः– आवासीय / प्लाटिंग मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आवासीय / प्लाटिंग हेतु ग्राम–पुरवामीर वि0ख0 सरसौल तहसील–नर्वल जिला कानपुर नगर में आवासीय / प्लाटिंग का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि संख्या खण्ड 69 / संख्या–22 / भाग–3–14 ध(73–81) दिनांक 30.05 2015.के अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस / अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
3. प्रस्तावित प्लाटिंग कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित / अतिक्रमण न किया जाय।
4. जलमल की निकासी मुख्य / अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज / नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
5. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्लाटिंग कार्य कुल कवर्ड एरिया 51988.62 वर्ग मी0 में तथा खसरा संख्या–794,796,797,799,800,802एमआई,803,804,820,821,823,824,825,827,830,830एमआई,887व 888 में ही कराया जायेगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि अनुज्ञा जारी होने की दिनॉक से 03 वर्ष की होगी।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

निरन्तर–2

Scanned by CamScanner

9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (यदि अनिवार्य है) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
13. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
14. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतःप्रभावी होगें।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिम पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर उत्तरदायी नहीं होगा।
17. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 (NBC-2005) के स्ट्क्चरल प्राविधानों के सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

28/3/19

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्र सं0–   /नि0/मा0अनु0/जि0पं0/2018–19   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
3. अवर अभियन्ता क्षे0पं0 सरसौल जिला पंचायत कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृत पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

Scanned by CamScanner